

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:-प.15(1)साप्र/2/2023

जयपुर, दिनांक: 28.02.2025

—: आदेश :-

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13.06.2024 द्वारा डॉ किरोडी लाल, माननीय मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को राजस्थान के मन्त्री वेतन अधिनियम 1956 के नियम 5(1)(ए) के प्रावधानानुसार इस विभाग के आदेश दिनांक 09.02.2024 द्वारा उनके निवास हेतु रिक्त होने की प्रत्याशा में आवंटित राजकीय आवास संख्या 14, सिविल लाईन, जयपुर के रिक्त होने तक अस्थाई रूप से राजकीय आवास संख्या 3 अस्पताल मार्ग, जयपुर का निःशुल्क आवंटन किया गया था।

डॉ किरोडी लाल, माननीय मंत्री के द्वारा अस्थाई तौर पर आवंटित राजकीय आवास संख्या 3 अस्पताल मार्ग का आवंटन निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है।

डॉ किरोडी लाल, माननीय मंत्री की प्रार्थना के क्रम में सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय अनुसार उन्हे किया गया राजकीय आवास संख्या 3 अस्पताल मार्ग, जयपुर का अस्थाई आवंटन तत्काल प्रभाव से एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

उक्त सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

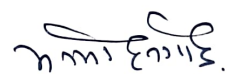


(मन मोहन गौड)

वरिष्ठ उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर।
4. महालेखाकार, राज0 जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
6. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर जयपुर।
7. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
8. संयुक्त सचिव (एपी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
9. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय (डॉ किरोडी लाल), राजस्थान सरकार।
10. डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-1) विभाग।
11. उप शासन सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, जयपुर।
12. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
13. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग सिविल लाईन्स, जयपुर।
15. अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग सिविल लाईन्स, जयपुर।
16. अधिशाषी अभियन्ता जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सिविल लाईन्स, जयपुर।
17. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
18. निदेशक/उद्यानविज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
19. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
20. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग जयपुर।
21. सहायक अभियन्ता चौकी सार्वजनिक निर्माण विभाग सिविल लाईन्स, जयपुर।
22. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
23. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
24. रक्षित पत्रावली।



वरिष्ठ उप शासन सचिव